

(15)

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त क्रेता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) गुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो,मान्य होगी।

नोट:- (1) उक्त व्यवसायिक भूखण्ड के फर्म द्वारा किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा-10A के अधीन जिलाधिकारी(म०) लखनऊ के आदेश संख्या-07 दिनांक 02.04.2013 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान संख्या-जी-110001 दिनांक 27.06.2013 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 03.07.2013 को निर्गत रुपये 71,00,000.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रुपये 10000.00 के जनरल स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:- (2) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रुपये 71,01,000.00 में अदा किया जा रहा है।

नोट:- (3) उक्त व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 2D/COM-01 का आवंटन पत्र संख्या 1006 दिनांक 06.04.2013 को निर्गत किया गया है। उक्त भूखण्ड का किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध छः माह के अन्दर किया जा रहा है। अतः परिषद मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

आवंटी

नाम:- मेसर्स संजर बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
श्री शहीर अहमद

पता 203, द्वितीय तल, ग्रान्डर अपार्टमेन्ट,

593, एम डालीबाग लखनऊ
For Sanjar Builders And Constructions Pvt.Ltd

Signature
Director

(बी०के०सिंह)

सहायक आवास आयुक्त
पन्नावन योजना, लखनऊ